

अयोध्या विकास प्राधिकरण

शुद्धि पत्र – 1

पंजीकरण पुस्तिका:- वशिष्ठ कुंज फेज-1, आवासीय योजना, लखनऊ- अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग-27, अयोध्या।

पृष्ठ संख्या	पंजीकरण पुस्तिका में अकिंत बिन्दु	पंजीकरण पुस्तिका में आंशिक संशोधन
<p><u>पृष्ठ सं०-2</u></p> <p>3. आवेदक/पंजीकरण की पात्रता एवं अवधि-</p> <p>पंजीकरण हेतु पात्रता:- <u>बुलेट सं०- 3 एवं 4</u></p>	<p>➤ आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड आवंटित नहीं होना चाहिए।</p> <p>➤ आवेदक व उसके परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।</p>	<p>आवेदक या उसके परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।</p>
<p><u>पृष्ठ सं०- 12</u></p> <p>शपथ पत्र का प्रारूप <u>क्रम सं० 4 एवं 5</u></p>	<p>4. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, या अन्य किसी सरकारी विभाग से मेरे/हमारे किसी भी सदस्य को एक से अधिक आवासीय भवन, भूखण्ड या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।</p> <p>5. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि अयोध्या में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भी आवासीय भवन, भूखण्ड या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।</p>	<p>मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि हमारे परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।</p>

उपाध्यक्ष

अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या